Kekdi

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/283/225 गोपाल वि. सीताराम

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री सत्यप्रकाश राजावत श्री	
27/01/25	गोपाल बनाम सीताराम वगैरह (2024 / 283) पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 10.02.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
10/2/25	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 27.01.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में किये गये कथन संतोषजनक, सद्भाविक एवं उचित प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 12 द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2024 की आड में अविधिक रूप से प्रार्थी के पैतृक खातेदारी व आधिपत्य की भूमि में अनाधिकृत कब्जा किये जाने का प्रयास कर रहे है, जिस सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125 / 2024 पुलिस थाना सदर केकडी में दर्ज होकर अनुसंधानरत है, तथा पुनः अतिक्रमण / अतिचार कर बदेखल किये जाने पर आमादा है, यदि वह प्रार्थी की अपील के विचाराधीन रहते हुए अविधिक कृत्य कारित कर दिया जाता है, तो प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने का आशय ही समाप्त हो जावेगा, जिससे यदि प्रार्थी के अचल सम्पत्ति में निहित हक–अधिकार व आधिपत्य का हनन होने के साथ ही प्रकरणों की बहुलता में लिप्त होना होगा, जिसमें होने वाली आर्थिक व मानसिक क्षति का मुद्रा में आंकलन किया जाना असम्भव है, इस कारण ताफैसला अपील प्रार्थना पत्र संख्या 44 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को स्थगित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, कानून, न्याय व समानता प्रार्थी के पक्ष में विद्यमान करते है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकडी द्वारा अपील प्रार्थना पत्र संख्या 44 / 2024 में पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 की पालना, प्रभाव व क्रियान्विति को ताफैसला स्थगित फरमाये जाने के आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति, अपील तथा अपील के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेन्ट / वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 27.06.	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/283/2?? गोपाल v/s मिठालाल

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री कृष्णकुमार राजावत श्री	

लगातार

2024 को पेश किया, जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 4.07.2024 में नियम की गई। तत्पश्चात दिनांक 04.07.2024 को आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 02 को जारी नोटिस तामिल अंकित करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 को नोटिस जारी किये जाने हेतु मिसल दिनांक 08.07.2024 नियत की गई। दिनांक 08.07.2024 को प्रार्थीगण को सुनकर एकक्षीय रूप से स्थगन जारी किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में तारीख पेशी क्रमशः 07.08.2024, 09.09.2024, 25.09.2024, 20.11.2024 नियत की गई। हमने पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया की वर्तमान प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट का जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को गुणावगुण पर निरतारण किया जाना चाहिए था।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र में वर्तमान अपीलांट के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए प्रफोर्मा पक्षकार रेस्पोडेन्ट संख्या 09 से जवाब प्राप्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में अंतिम रूप से गुणावगुण पर निस्तारण करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01, 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत किये जाने के उपरांत यदि प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में अंतिम निस्तारण नहीं किया जाता है तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.07.2024 स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम रूप से निस्तारण किये जाने पर हाजा न्यायालय द्वारा पारित आदेश भी स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner